

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.3(1201)नविवि/3/2012पार्ट

जयपुर, दिनांक: 22.2.2018

आदेश

नगर विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों एवं आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 नियम 17 एवं आवासन मण्डल के नियमों के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों जिनकी सम्पूर्ण राशि आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में उक्त नियमों के नियम 17(5)(III) में ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमन करने का प्रावधान है। नियम-31 में ब्याज व छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2018-19 में घोषणा संख्या 255 में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. में दिनांक 01.01.2001 से आवंटित आवासों में राशि जमा नहीं करवायी गयी है उनमें दिनांक 31.12.2018 तक एक मुश्त जमा करवाये जाने पर नियमन करने हेतु ब्याज व पेनल्टी पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के 7(5)(III) व सपठित 31 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.01.2001 से ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवंटित आवासों में बकाया (मासिक किस्त) राशि दिनांक 31.12.2018 तक एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट एतद्वारा प्रदान की जाती है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

 22/2/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नविवि।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
8. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
9. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
10. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
11. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
13. सलाहाकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
16. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
17. रक्षत पत्रावली।

 22/2/18
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम